संख्या–177/XXIV(1)/2008–52/2006 T.C.

प्रेषक

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य के लिये शिक्षा परिषद,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 17 मार्च 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2159/एस0एस0ए0/2007–08, दिनांक 22.01.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सर्व शिक्षा अभियान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 23.10 करोड की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह स्वीकृति पूर्व में शासनादेश संख्या–548/XXIV(1)/2007–52/2006, दिनांक 14.08.2007 एवं पत्र संख्या–581/XXIV(1)/2007–52/2006, दिनांक 23.08.2007 में स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त है:–

(क) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों में कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त हो जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अतिरिक्त व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बकाया न छोड़ी जाय।

(4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में आधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें। उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत (केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं)–0104–सर्व शिक्षा अभियान मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1066(P)/वित्त व्यय नियंत्रक अनुभाग–3/2008, दिनांक 15.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।